दिनांक :- 26-04-2020

कॉलेज का नाम :- मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा

लेखक का नाम :- डॉ० फ़ारूक़ आज़म (अतिथि शिक्षक)

स्नातक :- प्रथम खंड इतिहास

विषय :- प्रतिष्ठा इतिहास

इकाई :- चतुर्थ

पत्र :- एक

अध्याय :- (ऋग्वैदिक काल एवं वाणिज्य व्यापार के स्रोत)

इस काल में वाणिज्य-व्यापार सीमित मात्रा में ही थी। इसके दान के पणि नामक अनार्य जो अपनी समृद्धि के बावजूद कंजूसी के लिए प्रसिद्ध थे। वाणिज्य-व्यापार से जुड़े थे। पणि नामक ये व्यापारी आर्यों के शत्रु के रूप में चित्रित किया गया है क्योंकि ये आर्यों की गायें चुराया करता था। बलबूथ एवं तरुक्ष जैसे पराजित अनार्य सरदार के पुनः आर्य व्यवस्था में शामिल होने के विवरण मिलता है। इस काल में प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कपड़ा चादर और खाले थी।

Scanned with CamScanner

विनिमय प्रणाली :-

इस युग में विनिमय प्रणाली वस्तु विनिमय के रूप में थी। विनिमय के रूप में गाय, घोड़ा एवं निष्का का उपयोग होता था। निष्क संभवतः स्वर्ण आभूषण अथवा सोने के डेले के रूप में होता था। अभी नियमित सिक्के ~~विकसित~~ विकसित नहीं हुए थे। अष्टकर्णी शब्द से यह विदित होता है कि ऋग्वैदिक आर्यों को संभवतः अंकों की जानकारी थी। इस काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बेकनाट कहा जाता था।

समाज एवं संस्कृति

प्रारंभ में आर्य एक ही वर्ण के थे आगे चलकर दास भी जुड़ गये। आर्यों का समूह विश कहलाता था। इस समय वर्ण रंग का बोधक था। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल की प्रारंभिक स्थिति में समाज में दो वर्ण थे - आर्य तथा दास इस ग्रंथ में उल्लिखित है कि उग्र प्रकृति के ऋषि अगस्त्य ने दोनों वर्णों का पोषण किया। आगे जब उत्पादन अधिशेष की स्थिति

उत्पन्न हुई तो विश्व का विभाजन योद्धा, पुरोहित एवं सामान्य लोगों में हो गया। इस तरह वर्ण व्यवस्था का आधार अब कर्म हो गया। ऋग्वेद में एक स्थान पर एक ऋषि लिखता है कि "मैं कवि हूं। मेरा पिता वैद्य है तथा मेरी माता अन्न पीसने वाली है। साधन भिन्न-भिन्न है परंतु सभी मिलकर धन की कामना करते हैं।

एक राजन्य अपने कर्म से पुरोहित हो सकता था एवं पुरोहित राजन। जैसे महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी कर्म से ब्राह्मण थे। उसी तरह ऋषि भृगु के बारे में कहा जाता है कि भृगु के वंशज ने अनेक राज्यों की स्थापना की। ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग 15 बार तथा क्षत्रिय शब्द का प्रयोग 9 बार हुआ है।

शूद्र की प्रथम चर्चा ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में हुई। वैश्य शब्द का भी प्रथम बार प्रयोग यहीं

मिलता है। इसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। यहाँ कहा गया है कि जब देवताओं ने विराट पुरुष की बलि दी तो उसके मुख भाग से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य (क्षत्रिय) की ऊरु भाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए।

इस समय सामाजिक व्यवस्था का आधार रक्त संबंध था। जिस प्रकार निर्वाह अर्थव्यवस्था ने काफी हद तक कबायली सामंजस्य को बढ़ावा दिया, उसी प्रकार पशुचारण की प्रधानता ने पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना के निर्माण में सहायता दी। इस प्रकार समाज पितृसत्तात्मक होता था। सिर्फ एक दो ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि घर का मुखिया कभी-कभी संतान को क्रूर रूप में भी दण्डित करता था। ऋजाश्व व मृत्यु की कथा इस ओर इंगित करती है।

Scanned with CamScanner

कई पीढ़ियों के लोग बंधु बांधव एक ही साथ रहते थे इन्हें नृप्त कहा जाता था। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में योग्य पुत्रों (सौवीर) की कामना की गई है परन्तु अलग से पुत्री के जन्म की कामना नहीं की गई है। पिता की मृत्यु के बाद बँटवारे में ज्येष्ठ पुत्र को संभवतः अधिक हिस्सा मिलता था

स्त्रियों की स्थिति :-

समाज में पितृसत्तात्मक तत्व की प्रधानता होते हुए भी परिवार में स्त्रियों को यथोचित आदर एवं सम्मान प्राप्त था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था लड़कियों की शादी 16 या 17 वर्ष में होती थी। विधवा एवं अंतः जातीय विवाह होता था बहुपतित्व विवाह एवं अपने संबंध में विवाह के कुछ चिह्न मिलते हैं। उदाहरण के लिये यमी ने अपने भाई यम से विवाह का अनुरोध किया था, किंतु यम ने उसे अस्वीकार

Scanned with CamScanner

कर दिया। मारूतों ने रौदसी को मिलकर भोगा, उसी तरह अश्विन दो भाई सूर्य की पुत्री सूर्या के साथ रहते थे। किंतु इस विषय में हम कह सकते हैं कि ये आदिम अवस्था के बीज थे। वास्तव में ऋग्वैदिक काल में बहुपतित्व प्रथा नहीं थी संभवतः उच्च कुल के सम्पन्न लोग एक से अधिक पत्नियां रखते थे इस आधार पर कहा जा सकता है कि पुरुषों में बहुविवाह की प्रथा थी। स्त्रियों को उपनयन एंव शिक्षा का अधिकार प्राप्त था अनेक विदुषी महिलायों का उस समय उदाहरण मिलता है जैसे, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वम्भरा, सिक्ता आदि। लोपामुद्रा क्षत्रिय वर्ण की थी किंतु इसकी शादी ऋषि अगस्त से हुई थी। (अनुलोम विवाह) तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नीत्व प्रथा प्रचलित नहीं थी।

Scanned with CamScanner

दूसरी तरफ विधवा विवाह एंव नियोग प्रथा का प्रचलन था विदुषी महिलाओं को ऋषिका ब्रह्म वादिनी कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था और स्थिति में यदि पुत्री पिता के घर में ही रहती थी। तो वह पिता की संपत्ति की हिस्सेदार होती थी। ऋग्वेद में आठवें मंडल में अपाला के अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्ति का उल्लेख है। स्त्रियाँ सभा एंव समिति में भाग लेती थी साथ ही वे पति के साथ यज्ञ में भी भाग लेती थी।

यद्यपि विवाह मे पिता की अनुमति या सहमति आवश्यक थी तथापि स्त्रियों को स्वंय विवाह संबंधी अधिकार भी प्राप्त था। ऋग्वेद मे समानों (उत्सवों) का उल्लेख है जिनमें कन्यायें स्वंय अपने पति का वरन कर लेती थी। कभी-कभी शारीरिक बीमारी के कारण विवाह में विलंब भी हो जाता था।

Scanned with CamScanner